



No 018041

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1538

वर्ष 2011-12

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 'लीला स्मृति निकेतन'.....

वाडि नं० - 23, पत्रालय - सुपौल

धामा + जिला - सुपौल (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ५-०५-११ मास अगस्त वर्ष २०११ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21, 1860 के अधीन निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता है। निबन्धन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है।
हस्ताक्षर, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।